न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–88/2018
CIS No.-TS 60/2019

विरेन्द्र कुमार.....वादी

बनाम

शेख ओसियर.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
16.12.2025	वादी की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 04.09.2025 अंदर आदेश 08 नियम 01 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रस्तुत वाद अपने हकियत की घोषणा, दखल–कब्जा की वापसी के साथ अन्य अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है। इस वाद में प्रतिवादी उपस्थित होकर अपना ब्यान तहरीरी सह प्रतिदावा दाखिल किये है। वादी द्वारा प्रतिवादी के प्रतिदावा का उत्तरपत्र दिनांक 06.03.2024 को दाखिल किया गया, जिस पर प्रतिवादी का हस्ताक्षर वो सत्यापन के साथ शपथ पत्र भी दाखिल नहीं था। प्रतिदावा प्रविष्ठी के उपरान्त वादी द्वारा दिनांक 17.06.2025 वो 21.06.2025 को आवेदन देकर निवेदन किया गया कि वादी द्वारा दाखिल उत्तरपत्र दिनांक 06.03.2024 को ही वादी का उत्तर पत्र समझते हुए उस पर हस्ताक्षर का अनुमति दी जाए। प्रतिवादी के विरोध के कारण श्रीमान् के द्वारा मौखिक तौर पर कहा गया कि एक दुसरा उत्तरपत्र हस्ताक्षर, सत्यापन वो शपथ पत्र के साथ दाखिल किजिए। इस कारण प्रतिदावा का उत्तरपत्र दाखिल करने में विलम्ब हुआ। लेहाजा उस विलम्ब को माफ कर उत्तरपत्र को स्वीकार करना न्यायहित में आवश्यक है, अन्यथा वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विलम्ब को माफ करते हुए प्रतिदावा का उत्तरपत्र अभिलेख पर रखने की कृपा की जाए। प्रतिवादी की ओर से वादी के आवेदन दिनांक 04.09.2025 का प्रतिउत्तर दिनांक 03.12.2025 को दाखिल किया गया और कहा गया है कि वादी द्वारा प्रतिदावा में अपने उपथिति से लगभग एक वर्ष बाद विलम्ब से दाखिल ब्यान तहरीरी को आदेश 08 नियम 01 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विलम्ब को माफ करते हुए अभिलेख पर रखने का	

न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–88/2018
CIS No.-TS 60/2019

विरेन्द्र कुमार.....वादी

बनाम

शेख ओसियर.....प्रतिवादी

लगातार 16.12.2025	अनुरोध किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण एवं खारिज योग्य है। वादी अपने आवेदन में दिनांक 17.06.2025 एवं 21.06.2025 को दाखिल अपने आवेदनों की चर्चा की गई है। उक्त दोनों आवेदनों को वादी द्वारा "Not Press" के आलोक में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 04.09.2025 को खारिज करने की कृपा की जाए। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद सुनवाई हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी वाद का निष्पादन उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए, जिससे वाद को प्रभावी ढंग से निष्पादित किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। चूंकि वादी इस वाद में संघर्ष करना चाहते है। ऐसी स्थिति में वादी का आवेदन न्यायसंगत है और इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहीत में वादी का आवेदन दिनांक 04.09.2025 को मो0–1000/–रूपया हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वाद दिनांक 08.01.2026 वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	